<u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

<u>आप. प्रक. क.—366 / 2014</u> संस्थित दिनांक—13.05.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–परसवाड़ा,	
जिला–बालाघाट (म.प्र.) 🚿 📈	<i>– – – – – – –</i> अभियोजन

विरूद्ध

ओजेश पटले पिता काशीराम पटले, उम्र 25 साल, जाति पंवार, निवासी ग्राम भमोड़ी थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.)

_____ = ___ - __ = __ - __ - आरोप

—:<u>: निर्णय :</u>:—

(आज दिनांक 24/11/2014 को घोषित किया गया)

- (01) आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 12.04.2014 को समय 06:30 बजे, ग्राम भिमोड़ी थानान्तर्गत परसवाड़ा में पुष्पाबाई के पित होते हुये दहेज की मांग को लेकर पुष्पाबाई को शारीरीक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी कुशलाल ने दिनांक 12.04.2014 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसकी पुत्री पुष्पाबाई को आरोपी ओजेश पटले दहेज की मांग को लेकर मारपीट करता है और शारीरीक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी ओजेश पटले के विरुद्ध अपराध क्रमांक 64/14 अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचनापूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के अन्तर्गत कर अवश्यक विवेचनापूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- (03) आरोपी को मेरे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए का

आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। 🧥

- आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष हैं उसे फरियादी ने पुलिस से (04)मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर झूठा उसे फंसाया है।
- आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु (05)विचारणीय है :-
 - क्या आरोपी ने दिनांक 12.04.2014 को समय 06:30 बजे, ग्राम भिमोड़ी थानान्तर्गत परसवाड़ा में पुष्पाबाई के पति होते हुये दहेज की मांग को लेकर पुष्पाबाई को शारीरीक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- (06)अभियोजन साक्षी / विवेचनाकर्ता सुभाषसिंह (अ.सा.०४) का कहना है कि उसने थाना परसवाड़ा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये फरियादी कुशलाल की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपी ओजेश पटले के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-01 लेखबद्ध किया था। फरियादी कुशलाल, पीड़िता पुष्पाबाई एवं साक्षी निर्मलाबाई, उदयसिंह, चैनलाल, नीलमसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी ओजेश पटले को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। विवेचनापूर्ण कर चालान की डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था।
- अभियोजन साक्षी / फरियादी कुशलाल (अ.सा.०1) का कहना है कि (07)पुष्पाबाई उसकी लड़की का विवाह ग्राम भमोड़ी के ओजेश पटले के साथ सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था, उसकी पुत्री के दो बच्चे है। उसकी पुत्री ने उसे फोन करके बताया कि आरोपी और उसके बीच वाद-विवाद होते रहते है तो उसने गुस्से में आकर थाना परसवाड़ा में साधारण वाद-विवाद के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-01 है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने आरोपी ओजेश ने उसकी लड़की को दिनांक 12.04.2014 को दहेज के लिये शारीरीक एवं मानसिक रूप ये परेशान किया, जिसकी रिपोर्ट उसने

आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में लिखाई थी, इससे इन्कार किया और पुलिस को भी कथन देने से इन्कार किया।

- (08) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी / पीड़िता पुष्पाबाई (अ.सा.02) का कहना है कि आरोपी ओजेश पटले उसका पित है तथा फिरयादी कुशलाल उसके पिता है। उसकी विवाह ग्राम भमोड़ी के ओजेश पटले के साथ सामाजिक जाति रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। पुलिस को उसने कोई बयान नहीं दिये थे साक्षी को अभियोजन को पक्षद्रोही कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ओजेश पटले ने उसे दहेज की मांग को लेकर शारीरीक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी निर्मलाबाई (अ.सा.03) का कहना है कि पीड़िता पुष्पाबाई उसकी पुत्री है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही उसने पुलिस को घटना के संबंध में कुछ बताया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने आरोपी ओजेश पटले ने पुष्पाबाई को दहेज की मांग को लेकर शारीरीक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया।
- (09) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निर्दोष हैं, फिरियादी ने पुलिस से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है, जिसका अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्ष्यों ने आरोपी ओजेश पटले ने दिनांक 12.04.2014 को समय 06:30 बजे, ग्राम भिमोड़ी थानान्तर्गत परसवाड़ा में पुष्पाबाई के प्रति होते हुये दहेज की मांग को लेकर पुष्पाबाई को शारीरीक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया इस बात से स्पष्ट इन्कार किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।
- (10) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।
- (11) अभियोजन साक्षी / विवेचनाकर्ता सुभाषसिंह (अ.सा.04) का कहना है कि

उसने थाना परसवाड़ा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये फरियादी कुशलाल की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपी ओजेश पटले के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-01 लेखबद्ध किया था। फरियादी कुशलाल, पीड़िता पुष्पाबाई एवं साक्षी निर्मलाबाई, उदयसिंह, चैनलाल, नीलमसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी ओजेश पटले को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था। विवेचनापूर्ण कर चालान की डायरी थाना प्रभारी की ओर प्रेषित किया था।

- किन्तु अभियोजन साक्षी / फरियादी कुशलाल (अ.सा.०1) का कहना है कि (12)पुष्पाबाई उसकी लड़की का विवाह ग्राम भमोड़ी के ओजेश पटले के साथ सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था, उसकी पुत्री के दो बच्चे है। उसकी पुत्री ने उसे फोन करके बताया कि आरोपी और उसके बीच वाद-विवाद होते रहते है तो उसने गुरसे में आकर थाना परसवाड़ा में साधारण वाद-विवाद के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-01 है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने आरोपी ओजेश ने उसकी लड़की को दिनांक 12.04.2014 को दहेज के लिये शारीरीक एवं मानसिक रूप ये परेशान किया, जिसकी रिपोर्ट उसने आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में लिखाई थी, इससे इन्कार किया और पुलिस को भी कथन देने से इन्कार किया।
- इसी प्रकार अभियोजन साक्षी / पीड़िता पुष्पाबाई (अ.सा.02) का कहना है कि आरोपी ओजेश पटले उसका पति है तथा फरियादी कुशलाल उसके पिता है। उसकी विवाह ग्राम भमोड़ी के ओजेश पटले के साथ सामाजिक जाति रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। पुलिस को उसने कोई बयान नहीं दिये थे साक्षी को अभियोजन को पक्षद्रोही कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया है कि आरोपी ओजेश पटले ने उसे दहेज की मांग को लेकर शारीरीक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी निर्मलाबाई (अ.सा.०३) का कहना है कि पीड़िता पुष्पाबाई उसकी पुत्री है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही उसने पुलिस को घटना के संबंध में कुछ बताया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने आरोपी ओजेश पटले ने पुष्पाबाई को

दहेज की मांग को लेकर शारीरीक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया।

- (14) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने आरोपी ओजेश पटले ने दिनांक 12.04.2014 को समय 06:30 बजे, ग्राम भिमोड़ी थानान्तर्गत परसवाड़ा में पुष्पाबाई के पति होते हुये दहेज की मांग को लेकर पुष्पाबाई को शारीरीक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया इस बात से स्पष्ट इन्कार किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपी ओजेश पटले ने दिनांक 12.04.2014 को समय 06:30 बजे, ग्राम भिमोड़ी थानान्तर्गत परसवाड़ा में पुष्पाबाई के पति होते हुये दहेज की मांग को लेकर पुष्पाबाई को शारीरीक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।
- (15) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी ओजेश पटले ने दिनांक 12.04.2014 को समय 06:30 बजे, ग्राम भिमोड़ी थानान्तर्गत परसवाड़ा में पुष्पाबाई के पित होते हुये दहेज की मांग को लेकर पुष्पाबाई को शारीरीक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
- (16) परिणाम स्वरूप आरोपी ओजेश पटले को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए के आरोप में दोषसिद्ध न पाते दोषमुक्त किया जाता है।
- (17) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उनके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) (डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)